

## कार्यालय: महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्थे उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या- 2फ/वॉक इन इण्टरव्यू/2023-24/

लखनऊ : दिनांक 23 दिसम्बर, 2023

--:: कार्यालय-ज्ञाप ::--

महानिदेशालय के आदेश संख्या-2फ/वॉक इन इण्टरव्यू/2023-24/1328, दिनांक 08.11.2023 द्वारा शासनादेश दिनांक 22.06.2017 एवं 19.07.2017 में दी गयी शर्तों एवं अनुबन्ध के आधार पर एम0बी0बी0एस0/विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति साक्षात्कार के माध्यम से संलग्न सूची के आधार पर 09 विशेषज्ञ एवं 200 एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों (कुल-209 चिकित्सक) को परामर्शी के पद पर तैनाती प्रदान की गयी।

महानिदेशालय के उपरोक्त आदेश संख्या-2फ/वॉक इन इण्टरव्यू/2023-24/1328, दिनांक 08.11.2023 में चयनित परामर्शियों द्वारा योगदान दिये जाने की अंतिम तिथि को बढ़ाते हुये 08.12.2023 किया जाता है।

(डा0 राजागणपति आर0)


आई0ए0एस0

निदेशक (प्रशासन)

पत्र संख्या-2फ/वॉक इन इण्टरव्यू/2023-24/1395(5) तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-2.
2. निदेशक(चिकित्सा उपचार), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
3. सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका मण्डलीय/जिला/संयुक्त/महिला एवं 50/100/200 शैय्या/एम0सी0एच0विंग/संयुक्त/ट्रामा सेंटर चिकित्सालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित की संलग्न सूची के अनुसार चिकित्सा अधिकारियों को अनुबन्ध पत्र एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ तत्काल योगदान कराते हुए योगदान आख्या अनुबन्ध पत्र के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित परामर्शी।
5. गार्ड फाइल।



(डा0 राजागणपति आर0)

आई0ए0एस0

निदेशक (प्रशासन)